S. NO.	POCKET	AREA	UNIT
1	G-1	877.57	SQ.MT.
2	G-2	643.47	SQ.MT.
3	G-3	643.42	SQ.MT.
4	G-4	1,116.08	SQ.MT.
TOTAL GREEN AREA PROVIDED		3,280.53	SQ.MT.

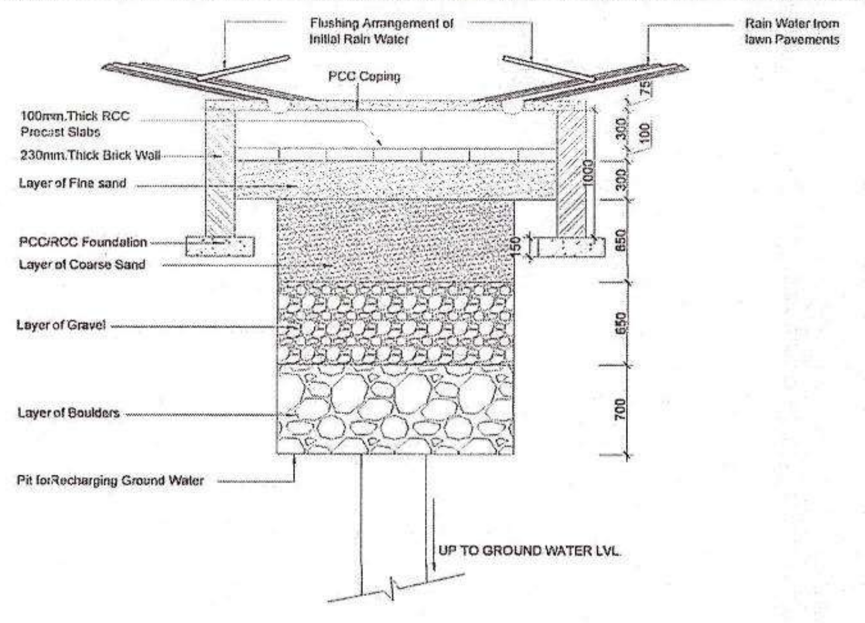

RAIN WATER HARVESTING

LEGEND

— — — —	WATER SUPPLY LINE
- - - - - -	SEWER LINE
M.H.S.	MAN HOLE
R.W.H.	RAIN WATER HARVESTING PIT
→	DRAINAGE SYSTEM

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

N

PROJECT

PROPOSED GROUP HOUSING
ON
GROUP HOUSING-1,
IN
POCKET-7, SECTOR-C,
SUSHANT GOLF CITY,
HI-TECH TOWNSHIP,
LUCKNOW

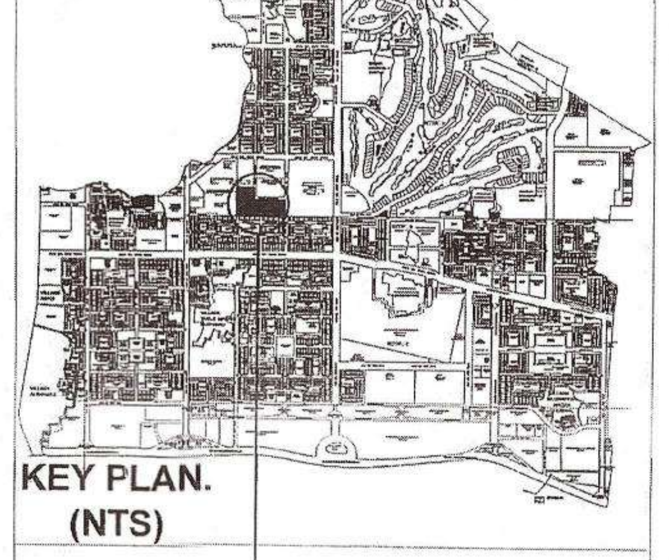

KEY PLAN.
(NTS)

SITE LOCATION

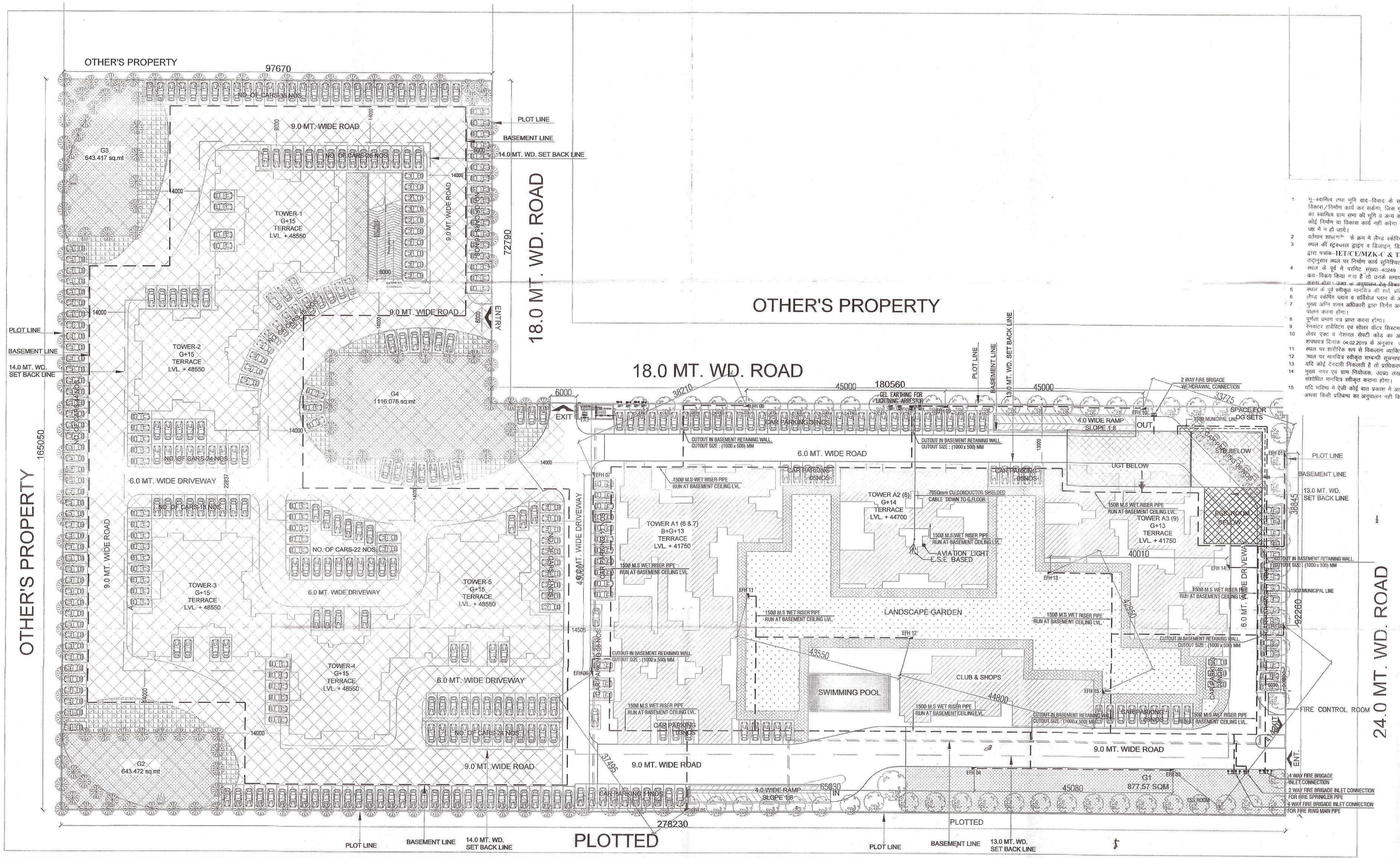

प्रतिबन्ध

1 भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध मे प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि ...न के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

2 वर्तमान शासनादेश के क्रम मे लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।

3 स्थल की स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजाइन, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आई०ई०टी० कालेज, के प्राफेसर डा० एम०जेड खान द्वारा पत्रांक-IET/CE/MZK-C & T/2018-3583 Date- 19-01-2019 के माध्यम से वैट कराकर प्रस्तुत की गयी हैं। तदानुसार स्थल पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करना होगा।

4 स्थल के पूर्व मे परमिट संख्या-40249 द्वारा स्वीकृत मानचित्र के क्रम मे यदि विकासकर्ता/भू-स्वामी द्वारा सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय किया गया है तो उनके समायोजन का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा। रेरा एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा। उक्त के अनुपालन हेतु विकासकर्ता द्वारा शपथ पत्र दिनांक 06.12.2018 प्रस्तुत किया गया है।

5 स्थल के पूर्व स्वीकृत मानचित्र की शर्त, प्रतिबन्ध एवं समय अवधि वर्तमान मानचित्र पर लागू होगी।

6 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।

7 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या- प-1785/एफएस-12 दिनांक 02.07.2018 के निर्देशों का पालन करना होगा।

8 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

9 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

10 लेवर एक्ट व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा तथा नियमानुसार लेबर सेस शुल्क विकासकर्ता द्वारा दिये गये शपथपत्र दिनांक 04.02.2019 के अनुसार जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

11 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।

12 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।

13 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।

14 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये जाने वाले अभिमत/सुझाव/ संशोधन को समावेशित करते हुए पुनः संशोधित मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

15 यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक स्वामित्व के लिए विधता बाध्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 43019
दिनांक 12-9-2018
स्वीकृत की वैधता दि० 11-9-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

DRAWING TITLE
LANDSCAPE & SERVICE PLAN

DEALT BY	CHECKED BY
RAJ KAPOOR	Ar.SANDEEP SETH
SCALE	**DATE**
1:100	October-2015

पत्र सं: प-1785/एफएस-12
दि० 02/7/18

ARCHITECT
TEAM ARCHITECTURE
ansal API
Building lifestyles since 1967

CLIENT/ OWNERS
ansal API
Building lifestyles since 1967
ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.
115, ANSAL BHWAN,
16, K.G. MARG, NEW DELHI - 110001.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

Architect
Sandeep Seth
B. Arch.
CA/94/17834
ARCHITECT'S SIGNATURE

OWNER'S SIGNATURE

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD. LUCKNOW

DRAWING NUMBER - GH/HI-TECH/LKO/SUB- 02/14

Architect
Sandeep Seth
B. Arch.
CA/94/17834